

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 388]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 अगस्त 2011—श्रावण 21, शक 1933

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2011

क्र. 43-एफ-4-113-2009-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा-5 (1) (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, ग्राम पंचायत शादौरा को निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को अब नगर परिषद् शादौरा अधिसूचित किया जाता है:—

क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	क्षेत्र का नाम (4)	सम्मिलित क्षेत्र का विवरण (5)
1.	अशोकनगर	शादौरा	नगर परिषद्, शादौरा	1. ग्राम पंचायत शादौरा का संपूर्ण क्षेत्र 2. ग्राम पंचायत मोहाल डेहर का संपूर्ण क्षेत्र 3. ग्राम पंचायत मुहाल मिल्क का संपूर्ण क्षेत्र 4. ग्राम पंचायत पिपरौल का संपूर्ण क्षेत्र.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2011

क्र. 44-एफ-4-110-2009-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा-5 (1) (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, ग्राम पंचायत साईंखेड़ा को निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को अब नगर परिषद् साईंखेड़ा अधिसूचित किया जाता है:—

क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	क्षेत्र का नाम (4)	सम्मिलित क्षेत्र का विवरण (5)
1.	नरसिंहपुर	गाडरवारा	नगर परिषद् साईंखेड़ा	1. ग्राम पंचायत साईंखेड़ा का संपूर्ण क्षेत्र 2. ग्राम पंचायत बम्हरीखुर्द का संपूर्ण क्षेत्र.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.